संख्या– 1590 जेड/6–सा–1–13–4जी/2013 टी0सी0

प्रेषक,

चन्द्र भानु,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक/सचिव,
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 24 अक्टूबर, 2013

विषय : वित्तीय वर्ष 2013–14 में उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ के कार्यालय अधिष्ठान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ के कार्यालय अधिष्ठान हेतु आय–व्ययक में कुल प्रावधानित रू0 77,30,000/– (रू0 सतहत्तर लाख तीस हजार मात्र) को शासन के पत्रांक–623 जेड/6–सा–1–13–4जी/2013, दिनांक 15.04.2012 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गयी थी। श्री हनुमान प्रसाद, जनपद–जौनपुर को राज्य सरकार द्वारा राजनैतिक पेंशन विभाग का सलाहकार (राज्य मंत्री स्तर) नामित किये जाने के दृष्टिगत उनके मानदेय आदि एवं स्टाफ के वेतन आदि हेतु श्री राज्यपाल महोदय अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित **धनराशि रू0–12,00000/–(रू0 बारह लाख मात्र)** को भी आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित मदों पर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

लेखा शीर्षक/मद	प्राविधानित धनराशि (हजार रूपये में)	स्वीकृत धनराशि (हजार रूपये में)
अनुदान संख्या–28 2251–सचिवालय–सामाजिक सेवायें–आयोजनेत्तर–092–अन्य कार्यालय– 03–उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय		
01–वेतन	307	307
03–मंहगाई भत्ता	231	231
04–यात्रा व्यय	63	63
06–अन्य भत्ते	79	79
07–मानदेय	400	400
08–कार्यालय व्यय	19	19
13–टेलीफोन पर व्यय	19	19
22–आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	19	19
49–चिकित्सा व्यय	63	63
योग	1200	1200

(रू0 बारह लाख मात्र)

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय समस्त वित्तीय नियमों एवं स्थायी आदेशों के अनुसार किया जोयगा। धनराशि के प्रदेशन मात्र से ही व्यय करने का अधिकार नहीं हो जाता। जहॉ सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित हो, व्यय करने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर ली जाये। वर्तमान स्थिति में शासन के व्यय में मितव्ययिता नितांत आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी किये गये और जो भविष्य में जारी हों, शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाये। यह

क्रमशः–2

भी निर्देशित किया जाता है कि एक मद में स्वीकृत धनराशि शासन की बिना पूर्व अनुमति के दूसरी मदों में व्यय न की जाय।

3— वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्कतानुसार धनराशि का कोषागार से किस्तों में आहरण सुनिश्चित किया जाय।

4— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013—14 के आय—व्ययक की अनुदान संख्या—28 के लेखा शीर्षक ***"2251—सचिवालय—सामाजिक सेवायें—आयोजनेत्तर—092—अन्य कार्यालय—03—उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय"*** के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5— यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या—बी—2—1957/दस—2013—244/2013, दिनांक—26.09.2013 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(चन्द्र भानु)
सचिव।

संख्या— 1590 (।)जेड/6—सा—1—2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3— वरिष्ठ आडिट ऑफिसर (आडिट—प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम सत्यनिष्ठा भवन, 15—थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4— मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5— निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6— वित्त (आय—व्यय) अनुभाग—1
7— वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग--12
8— आहरण एवं वितरण अधिकारी।
9— इन्चार्ज, एन0आई0सी0 नवीन भवन उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।
10— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अखिलेश चन्द्र गुप्ता)
संयुक्त सचिव।